न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 58/2023 (2023/154)

1. धनराज पुत्र बजरंग माली निवासी कणोज तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

--अप्रार्थी

उपस्थित :-

1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैराकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी – अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

दिनांक 16.06.2023

पत्रावली पेश की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र में आराजीयात वाके ग्राम कणोज तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

खाता संख्या नया-पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
214-294	543	0.73	चाही सोयम
	544	0.51	चाही सोयम
	546	0.32	चाही सोयम
	कुल किता 3	**कुल रकबा 1.56 हैक्टर**	

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की एकमात्र खातेदारी व कब्जेकाश्त की आरजीयात है जिसमें प्रार्थी का ही कब्जा काश्त एवं हक हिस्सा है तथा अप्रार्थी या अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक हिस्सा वास्ता सरोकार नही है तथा प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात के स्थायी सीमाचिन्ह नही होने के कारण आये दिन फसल काश्त करते समय एवं फसल की सुरक्षा हेतु तारबंदी करवाते समय अन्य पडोसी तारबंदी नही करने दे रहे है तथा प्रार्थी को कब्जेकाश्त की आराजीयात से जबरन बेदखल करते हुए कब्जा करने की नियत से हैरान व परेशान करते है तथा आये दनि धमकियां देते है जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्णित उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थी, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार काश्तकार को स्वयं की आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम कणोज तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया-पुराना 214-294 में दर्ज खसरा नम्बर 543, 544, 546 किता 3 कुल रकबा 1.56 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

Scanned with OKEN Scanner